**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली**

**पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.**

विविध प्रकरण संख्या : 46/2023

GCMS No. : 2023/85

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली | | 1. अशोक अरोडा पुत्र जीवराज अरोडा मैसर्स जे.बी. अरोडा मिष्ठान भण्डार प्रताप बाजार रानी |

**"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"**

उपस्थित :–

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री यशवन्तसिंह अरोड़ा उपस्थित।

**–: निर्णय :–**

दिनांक : 23/12/2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 19.10.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स जे.बी. मिष्ठान भण्डार प्रताप बाजार रानी पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। जहा पर अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित मिला जिससे उसका नाम पता पुछने पर अपना नाम अशोक कुमार अरोड़ा पुत्र जीवराज अरोड़ा बताया एवं स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में रखे फ्रिज में लगभग 08–10 किलो फिका मावा आमजन को बेचने के लिए रखा गया हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया की फिका मावा का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 02 किलो फिका मावा वास्ते जांच हेतु क्रय कर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उसकी कीमत 600/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा फिका मावा को चार भागो में बांटकर नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1586 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। वहां पर उपस्थित 4–5 व्यक्तियों को सरकारी गवाह बनने को कहा लेकिन कोई गवाह बनने को तैयार नहीं होने कि स्थिति में सरकारी गवाह श्री सवाईसिंह कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली को बनाया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर–1586 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1835/एक्ट/2022/1816 दिनांक 07.11.2022 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standards (अवमानक) फिका मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म से लिया गया फिका मावा का नमुना जोधपुर प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खाद्य मानकों के पैमाने के आस पास ही पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा फिका मावा अपनी फर्म में ही तैयार किया जाता है जिसमें पुर्णतः सावधानी बरती जाती है। फिका मावा बनाने में उपयोग किये जाने वाला दुध ग्रामीण क्षैत्रों से आने वाले गवालों से लिया जाता है जिसमें कम फैट का दुध होने से खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं होने की संभावना बनी रहती है। चुकिं अप्रार्थी फर्म से लिया गया फिका मावा आमजन के स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है ऐसे में अप्रार्थी के प्रति नम्र रूख अपनाते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.10.2022 को अप्रार्थी की फर्म से फिका मावा वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1586 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाहं के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये फिका मावा का नमुना कोड संख्या आर–1586 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया फिका मावा का नमुना अवमानक (Sub-standards) पाया गया, जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक स्तर (Sub-standards) फिका मावा का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली